दिनांक : 28.04.2022 को प्रेम समूह की प्रथम बैठक के दौरान उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दे।

क्र.सं.	मद	संबंधित विभागाधयक्ष
1.0	ईसीआरकेयू	
1.1	सिंगरौली स्टेशन पर विधुत आपूर्ति के संबंध में न्यायलय में चल रहे मामले को यथाशीघ्र निपटाया जाय ।	प्रमुविइं
1.2	सभी रनिंग रूम वातानुकूलित होना चाहिए ताकि सभी क्रू को उचित विश्राम मिल सके ।	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं
1.3	योजनाओं के कार्यान्वयन में निधि की उपलब्धता सतत बनाये रखा जाना चाहिए ।	प्रमुकाधि
1.4	मैन पावर प्लानिंग को निष्पक्ष एवं तार्किक बनाया जाय ।	प्रमुकाधि
1.5	रनिंग कर्मचारी का क्रू प्रबंधन प्रभावशाली बनाया जाय ताकि क्रू को लंबे समय तक यार्ड में ही गाड़ी के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़े ।	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं
1.6	धूल भरे साइडिंग से दूर ही रेलवे क्वार्टर बनाया जाना चाहिए ।	प्रमुइं
1.7	सहायक लोको पायलट से गार्ड की ड्युटी नहीं करायी जानी चाहिए ।	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं
1.8	कठिन परिस्थितियों में भी रेलकर्मी अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, अतः हमारी उपलब्धियों को मीडिया में उचित स्थान दिलाया जाय । इससे रेलवे की छवि सुधरेगी	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष, मुजंसधि
1.9	डीडीयु मंडल में प्रशिक्षित गार्ड की पदस्थापना आवश्यकता वाले स्थलों पर ऑप्शन लेकर की जाय ।	मरेप्र/डीडीयू
1.10	केंद्रीय सुपर स्पेशियलिटि अस्पताल, पटना में डेंटल एवं चर्म रोग के चिकित्सकों की समाप्त हुए संविदा को नियमानुसार यथाशीघ्र बहाल किया जाए ।	प्रमुचिनि
1.11	सेवा निवृत्त चिकित्सकों की कालावधि विस्तार करते समय फिटनेस चिकित्सा जॉच सुनिश्चित की जाय ।	प्रमुचिनि
1.12	इलेक्ट्रीकल सुपरवाईजर/टीआरएस रेलकर्मियों का पदोन्नति प्रशिक्षण कचरापाड़ा में कराया जा रहा है । ऐसे प्रशिक्षणों को पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुविइं
1.13	स्टेशनों की सफाई के लिए 900 रूपये का अग्रदाय तार्किक नहीं है ।	प्रविस
1.14	कर्मचारी कल्याण निधि की बैठक अविलंब करायी जाय ।	प्रमुकाधि
1.15	आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का गंतव्य स्टेशन तक जाना सुनिश्चित किया जाय तथा इनपर रेल का नियंत्रण भी सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं
1.16	वर्ष–2019 में मृत सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के समापक भुगतान के संबंध में जांच कराकर भुगतान अविलंब कराया जाय ।	प्रमुकाधि
1.17	रेलवे अस्पताल में व्हील चेयर की कमी को अविलंब दूर किया जाय ।	प्रमुचिनि
1.18	अनुरक्षण में पार्ट्स की आपूर्ति पूरी की जाय ।	प्रमुसाप्र

1.19	**गर्मी के मौसम में वातानुकूलित कोच के अनुरक्षण हेतु पार्ट्स का भंडारण समुचित मात्रा में होना सुनिश्चित किया जाय ।**	प्रमुसाप्र
1.20	**ओवर नाइट गाड़ियों में ओबीएचएस सुविध दी जानी चाहिए जैसे गंगा–दामोदर एक्स.,राजेन्द्रनगर– हावड़ा एक्स., राजेन्द्रनगर–बाका एक्स. इत्यादि।**	प्रमुयांइं
1.21	रेलवे स्टेशनों पर स्थित पार्सल घर/गोदाम आदि एवं कैरेज रिपेयर डिपो/कारखानों में गैस गोदामों तथा स्क्रैप यार्डों से ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए।	प्रमुवाप्र, प्रमुयांइं
1.22	डीजल, तेल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, रबर के सामान तथा पार्ट–पुर्जे पर अधिक सख्ती से ध्यान देने की जरुरत है।	प्रमुयांइं
1.23	कोचों के शौचालयों में पूरा पानी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इनके पाइप लाईन, नल तथा स्टेशनों पर वाटर बूथ में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।	प्रमुयांइं
1.24	स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में अधिकृत वेंडरों द्वारा मानक कंपनी का ही बोतल बंद पानी बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।	प्रमुवाप्र,
1.25	पैन्ट्रीकार का गलियारा अवरोध रहित रखना सुनिश्चित हो ताकि आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने में असुविधा नहीं हो।	प्रमुवाप्र,
1.26	ट्रेन क्रू (गार्ड एवं ड्राइवर), टी टी ई, एसी स्टाफ, आर पी एफ/जी आर पी स्टाफ, पैन्ट्रीकार स्टाफ तथा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए।	प्रमुयांइं
1.27	आर आर आई के पैनल रुम में फॉल्स सीलिंग नहीं होना चाहिए।	प्रमुपरिप्र, प्रमुसिदूइं
2.0	**ईसीआरएससी/एसटी एशो0**	
2.1	**अग्निशामन में प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही पेंट्रीकार में ड्युटी लगाया जाय ।**	प्रमुवाप्र
2.2	**रेलवे में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
2.3	**अस्पतालों की निरीक्षण समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।**	प्रमुकाधि
3.0	**ईसीआरपीओए**	
3.1	**गर्मी के मौसम प्रारंभ होने से पूर्व ही रेलवे ट्रैक के आस–पास की झाड़ियों को साफ कर आगजनी से बचा जा सकता है ।**	प्रमुइं
3.2	**इतर रेलवे से आने वाली गाड़ियों के वातानुकूलित कोच को पूर्व मध्य रेलवे में प्रवेश करने पर प्रमुख स्टेशनों पर समुचित जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ए.सी. सही ढ़ग से कार्य करे।**	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं
3.3	**स्टेशन परिसर में स्थानीय फायर ब्रिगेड का फोन नंबर अंकित होना चाहिए ।**	प्रमुपरिप्र
3.4	**कोच के कर्मचारी एवं स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी अग्निशामक यंत्र को चलाने में प्रशिक्षित होने चाहिए ।**	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं, प्रमुवाप्र, प्रमुइं
3.5	गैप एवं प्री डिस्ट्रेसिंग किये बिना बी0सी0एम0 मशीन से डीप स्क्रीनिंग न किया जाय।	प्रमुइं

3.6	गर्मी की पेट्रोलिंग समय से शुरू की जाय तथा पेट्रोलमैन का मुवमेंट रेगुलर चेक किया जाय।	प्रमुइं
3.7	दोपहर में चलने वाली ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा फूट प्लेटिंग निरीक्षण किया जाय ।	प्रमुयांइं,प्रमुविइं,प्रमुइं
3.8	बिना स्पीड रेस्ट्रीक्सन लगाये डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक रिनुअल का कार्य न किये जाए।	प्रमुइं
3.9	किसी भी ज्वाइंट की फिश प्लेट ग्रीसिंग गर्मी में न की जाय।	प्रमुइं
3.10	बड़े पूलों पर एक या दो रेल का पैनल लगाया जाता है इसलिए उनके जोडों पर गैप सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुइं
3.11	जिस भाग मे डीप स्क्रीनिंग, स्लीपर चेंजिंग का कार्य लम्बे स्ट्रेच में किया गया हो वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग करायी जाय।	प्रमुइं
3.12	जहां पहली बार रेल चेंजिंग की गयी हो वहां पर गर्मी शुरू होने के पहले डिस्ट्रेसिंग की जाय। जहां एस0इ0जे0 का गैप असाधारण रूप से घट या बढ रहा हो वहां भी डिस्टेसिंग करायी जाय।	प्रमुइं
3.13	एल0डब्ल्यू0आर0 की डिस्ट्रेसिंग निश्चित तापमान पर अवश्य की जानी चाहिए विशेषकर जिस स्थान पर जाडें में रेल चेंजिंग का कार्य किया गया हो।	प्रमुइं
3.14	सभी एसी कोच, पावर कार, लोकोमोटिव और एस एल आर में वैद्य परीक्षण नियत तारीख में किया जाय साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	प्रमुयांइं,प्रमुविइं
3.15	ऑयल टैंक वैगनों और लोकोमाटिव के ईंधन के रिसाव का उचित जांच एवं परीक्षण तथा उससे निपटने के तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुविइं
3.16	कोच वायरिंग में पोजिटिव और निगेटिव केबल को अलग–अलग करना सुनिश्चित करें।	प्रमुविइं
3.17	कोच वायरिंग में पोजिटिव और निगेटिव केबल को अलग–अलग करना सुनिश्चित करें।	प्रमुविइं
3.18	लाईट, पंखे और स्वीच बोर्ड से ढीले तार को हटा दिया जाए।	प्रमुविइं
3.19	इंजन का ड्रेन होल साफ हो और कोई ऑयल/पानी का जमाव एक्सप्रेशर/कम्प्रेशर रूम और इंजन रूम में नहीं हो।	प्रमुयांइं
3.20	छत के इलेक्ट्रीक लैम्प और ब्रेक वैन (एसएलआर) के लगेज कम्पार्टमेंट में लोड किये गये पैकेजों की ऊपरी परत के बीच न्यूनतम निर्धारित गैप छोड़ा जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र
3.21	सील करने से पहले एसएलआर/वीपी की सभी लाईटें बंद करना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुवाप्र
3.22	चिमनी को कालिख से जाम होने और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए पैंट्री कारों की चिमनी को नियमित रूप से सफाई किया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र
3.23	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पावर कार में फायर डिटेक्टर कार्यरत है।	प्रमुवाप्र
3.24	पैंट्री कार के तार ढीले या लटके नहीं होने चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुवाप्र

3.25	बिजली/करेंट के लीकेज से बचाव हेतु आरसीसीबी (रेसिड्यूबल करेंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स) का उपयोग किया जाए।	प्रमुविइं,
3.26	सभी ट्रैक मशीनों और कैंपिंग कोचों में वैध परीक्षण तारीख के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।	प्रमुइं
3.27	यात्री कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे कि–पटाखों , मिट्टी तेल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	प्रमुवाप्र ,प्रमुसुआ
3.28	पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब रेल द्वारा परिवहन के लिए दो पहिया मोटरसाइकिल की पेशकश की जाती है, तो पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली हो।	प्रमुवाप्र
3.29	प्लेटफार्म पर चल रही खान–पान सेवा ट्रॉली को जलती गैस स्टोव और सिगरी के साथ नहीं चलने देना चाहिए।	प्रमुवाप्र
3.30	स्टेशन कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अद्यतन टेलीफोन नंबर (लैंड लाइन्/मोबाईल), रिकार्ड के साथ समय–समय पर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए तथा एसएम कार्यालय के बाहर इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र
3.31	सभी प्रकार के वायरिंग मानक के अनुरूप किया जाना चाहिए ।	प्रमुविइं
3.32	सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशाम यंत्र लगा होना चाहिए तथा कर्मचारी इसके चलाने में प्रशिक्षित होना चाहिए ।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
4.0	**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी –सह –अध्यक्ष /ईसीआरओए**	
4.1	आउट सोर्स कर्मचारी को अग्निशामन में प्रशिक्षित होने पर ही ड्युटी पर लगया जाय अन्यथा रेलवे द्वारा प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित की जाय ।	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष
4.2	सभी प्रकार के वायरिंग मानक के अनुरूप किया जाना चाहिए ।	प्रमुविइं
4.3	सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशाम यंत्र लगा होना चाहिए तथा कर्मचारी इसके चलाने में प्रशिक्षित होना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
5.0	**प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी –सह –अध्यक्ष /ईसीआरओए**	
5.1	**आउट सोर्स कर्मचारी को अग्निशामन में प्रशिक्षित होने पर ही ड्युटी पर लगया जाय अन्यथा रेलवे द्वारा प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित की जाय ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
6.0	**प्रधान मुख्य विधुत इंजीनियर**	
6.1	**फायर टेस्टींग निश्चित समय पर की जानी चाहिए ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
7.0	**प्रमुख मुख्य इंजीनियर**	
7.1	**कोच के अंदर इन बिल्ट टेंशन को कम किया जाय ।**	प्रमुयांइं
7.2	**ट्रैक पर स्ट्रक्चर बदलाव वाले स्थान पर बालास्ट का समुचित रूप से होना सुनिश्चित किया जाय ।**	प्रमुइं
7.3	गिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए पैदल यात्री और मवेशी क्रॉसिंग पर बौनी दीवारें प्रदान की जा सकती है। गर्मी शुरु होने से पहले गिट्टी की पुनः पूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाए।	प्रमुइं
7.4	किसी भी अनुरक्षण कार्य को शुरू करने से पहले पूर्ण गिट्टी खंड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में गिट्टी एकत्र किया जाए।	प्रमुइं

7.5	सामान्य रख–रखाव के तहत, किसी भी समय लगातार 30 से अधिक स्लीपर नहीं खोले जाने चाहिए।	प्रमुइं
7.6	वास्तविक बकलिंग का पता चलने की स्थिति में डेटोनेटर लगाकर और बैनर फ्लैग प्रदर्शित कर यातायात को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।	प्रमुइं
7.7	ट्रैक को स्लू करने या संरेखित करने या मौजूदा गिट्टी सेक्शन को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।	प्रमुइं
8.0	**प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक**	
8.1	**फायर फाइटिंग का मॉक ड्रिल समय–समय पर होना चाहिए ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
8.2	यात्रियों को सावधान करने के लिए यात्री डब्बों एवं पैंट्रीकार में सतर्कता बरतने हेतु स्टीकर चिपकाया जाना एवं समय–समय पर निरीक्षण अभियान चलाया जाना।	मुजंसधि
9.0	**प्रधान मुख्य सामाग्री प्रबंधक**	
9.1	**स्मौक/फायर कर्टन एक तय एरिया में लगाया जाए जिससे लोकल फायर अलार्म पैनल या स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट कर, आग लगने पर अविलंब सूचना प्राप्त हो सके।**	
9.2	**फायर अलार्म सिस्टम फायर कंट्रोल रुम में लगाया जाए जिससे सूचना अविलंब प्राप्त हो सके।**	
10.0	**वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक**	
10.1	**संस्थानों एवं कार्य स्थलों पर स्वयं संरक्षित रहने के उपाय हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाय ।**	प्रमुचिनि
11.0	**प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त**	
11.1	**स्टेबल रेक समुचित रूप से लॉक्ड होने चाहिए ।**	प्रमुपरिप्र,प्रमुवाप्र,प्रमुसुआ
12.0	**प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी**	
12.1	**रिफिलिंग किये जाने वाले अग्निशामक को स्टेशन, डिपो एवं आउट सोर्स कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष
12.2	**ट्रैक अनुरक्षण में लगे फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, ग्लूकोज, नींबू इत्यादि सरकारी/व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि लू से बचा जा सके ।**	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं, प्रमुवाप्र, प्रमुइं
12.3	**ट्रैक के आस–पास छायादार वृक्ष नहीं हो तो आवश्यकतानुसार नियमित दूरी पर शेल्टर शेड उपलब्ध कराया जाय ।**	प्रमुइं
12.4	प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग क्षेत्र, विशेष कर ट्रेस पासिंग हेतु संभावित क्षेत्र एवं पुल की पहूचं/वक्रता पर जांच की जाय कि यहां बैलास्ट की कमी हो तो इसका समाधान किया जाय।	प्रमुइं
12.5	**खंडों की पहचान कर लंबित ब्रेथ्क निरीक्षण कार्य पूरा किया जाय ।**	प्रमुइं
12.6	ट्रैक मशीन कार्य को संपादित करने के लिए सभी अनिवार्य ग्रीष्म ऋतु सावधानियां बरती जाय।	प्रमुइं
12.7	आर.पी.एफ. एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत	प्रमुवाप्र, प्रमुसुआ

	हॉकरों एवं वेंडरों एवं पार्सल वान/ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ यथा पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि ले जाने एवं रोकने के लिए गहन जांच किया जाना चाहिए ।	
12.8	दुरंतो, तेजस, राजधानी शताब्दी इत्यादि ट्रेनों के जेनरेटर कार में आग से सुरक्षा व सावधानियों से संबंधित निवारक जांच की जानी चाहिए।	प्रमुयांइं
13.0	**प्रधान मुख्यसिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर**	
13..1	रिले रूम को डस्ट (धुल) मुक्त रखने के लिए साफ–सफाई। कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण।	प्रमुसिदूइं
13.2	जहां कही भी केबल ड्रम रखा हुआ है वहां की समुचित साफ–सफाई की जाती है, जिससे आग लगने की संभावना नही रहे।	प्रमुसिदूइं
14.0	**प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक**	
14.1	**प्रशिक्षण संस्थानों, स्टेशनों आदि पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित की जाने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना निकटवर्ती अस्पतालों को दें ताकि उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीमारी से स्वयं को बचाने के उपायों की जानकारी दिया जा सके ।**	प्रमुपरिप्र,प्रमुयांइं,प्रमुविइं, प्रमुवाप्र, प्रमुचिनि
15.0	**मुख्य जनसंपर्क अधिकारी**	
15.1	**रेलवे में विपरीत परिस्थितियों में भी किये जा रहे कार्यो की सूचना जनसंपर्क विभाग को भी दिया जाय ताकि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर रेलवे की छवि को और बेहतर बनाया जा सके ।**	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, मुजंसधी
15.2	**गर्मी के मौसम में स्वयं को बचाने की उपायों के संबंध में जागरूकता अभियाना चलाया जाना चाहिए । इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावशाली प्रयोग किया जाना चाहिए ।**	सभी प्रधान विभागाध्यक्ष

***

\